

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 769**  
**24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना**

**769. श्री आदित्य यादव:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि देश में पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने तथा सघन यातायात वाले शहरों में परिवहन-साधनों के मिश्रित उपयोग से ऊर्जा संकट को टालने का अधिक अवसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि देश के अधिकांश नागरिक अभी भी पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं और लगभग इकहतर प्रतिशत कार्य संबंधी यात्रा पैदल, साइकिल और मल्टी मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों द्वारा की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**  
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग) : शहरी नियोजन राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारें पैदल, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना, प्रबंधन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार शहरी परिवहन अवसंरचना के व्यवस्थित विकास के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी करती है और विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के माध्यम से ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों की सूची इस प्रकार दी गई है:

i. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006: इस नीति ने "चलते वाहनों" के स्थान पर "चलते लोगों" पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में बदलाव किया और सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी - पैदल और साइकिल चलाना), और एकीकृत भूमि-उपयोग तथा परिवहन आयोजना के महत्व पर जोर दिया।

ii. राष्ट्रीय पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) नीति, 2017: इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को अधिकतम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए ट्रांजिट कोरिडोर तथा स्टेशनों के आसपास उच्च घनत्व, मिश्रित उपयोग विकास को बढ़ावा देना है।

iii. भारत सरकार ने सतत गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु मेट्रो रेल सहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं की व्यवस्थित योजना के लिए मेट्रो रेल नीति, 2017 जारी की है। मई, 2014 से अब तक देश-भर के 24 शहरों में लगभग 788 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, मई, 2014 से अब तक 3,27,487.30 करोड़ रुपये की अनुमानित पूर्णता लागत पर कुल 1005 किलोमीटर लंबाई के साथ 35 मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही, मई, 2014 से अब तक भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए 1,88,197.78 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

iv. भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2023 में पीएम-ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाना है।

v. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत): यह मिशन शहरी अवसंरचना के विकास के लिए सहायता देता है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन और एनएमटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

vi. पब्लिक बाइक शेयरिंग (पीबीएस) सिस्टम पर जोर: कई शहरों ने सार्वजनिक परिवहन के लिए द्वार से द्वार तक कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु पीबीएस सिस्टम का संचालन किया है।

\*\*\*\*\*